



प्रेस नोट - दिनांक 29.12.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।



**क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 74,000/- रू0 की संपूर्ण धनराशि पीड़ित को कराई गई रिफण्ड**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फ्रॉड कर निकाली गई 74,000/- रू0 की संपूर्ण धनराशि पीड़ित के खाते में रिफण्ड कराई गई।

**संक्षिप्त विवरण-** पीड़ित रशीद खान निवासी अकरमपुर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा साइबर पोर्टल पर आनलाइन प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 17.05.2024 को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 74000 /- रू0 का फ्राड होने विषयक दिया गया था। जिस पर थाना कोतवाली उन्नाव पर मु0अ0सं0 748/2024 धारा 420 भादवि व 66डी आई टी एक्ट पंजीकृत कर विवचेना अपराध निरीक्षक राजेश यादव द्वारा सम्पादित की गयी। थाना कोतवाली सदर पुलिस की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्राड की गयी 74000 /- रू0 की संपूर्ण धनराशि आवेदक को रिफण्ड करायी।

**कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.अपराध निरीक्षक राजेश यादव,थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव।
2. महिला आरक्षी सोनिया शर्मा, थाना कोतवाली सदर ,जनपद-उन्नाव।
3. आरक्षी अनिल कुमार,थाना कोतवाली सदर उन्नाव।
4. आरक्षी महेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली सदर उन्नाव।